

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 द्वारा प्रमाणित संस्था)

## हिण्डन नदी के किनारे करैहडा गाँव

## स्थित सिटी फॉरेस्ट

## में

## मिनी रेस्टोरेन्ट संचालन की नियम एवं शर्तों की

## विवरणिका ।



एक सुन्दर शहर.....हमारा संकल्प



मूल्य—` 1180.00 जी०एस०टी० सहित

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

## नीलामी का आवेदन एवं नियम व शर्त :-

कार्य का नाम— हिण्डन नदी के किनारे करैहडा गाँव के निकट सिटी फॉरेस्ट में निर्मित मिनी रेस्टोरेन्ट का 05 वर्ष की अवधि के लिए संचालन का कार्य।

1. मिनी रेस्टोरेन्ट संचालन की अवधि 5 वर्ष होगी।
2. नीलामी के समय को ` 1,00,000.00 (एक लाख) मात्र प्रति स्थल धरोहर राशि के रूप में डी०डी० जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में जमा करने होंगे।
3. प्रस्तावक को आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र व फोटो पहचान पत्र की प्रति जमा कराना होगा।
4. नीलामीदाता को सिटी फॉरेस्ट में मिनी रेस्टोरेन्ट संचालन का वार्षिक अनुज्ञप्ति अंशदान प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्ति वर्ष आरम्भ होने से पूर्व जमा करना होगा। यह विलेख दिनांक .....से दिनांक ..... तक पाँच वर्ष की अवधि हेतु अनुमन्य होगी, अनुज्ञप्ति विलेख शुल्क वर्ष आरम्भ होने से पूर्व अदा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर पैनल ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार अनुज्ञप्ति विलेख पर पुनर्विचार किया जायेगा।
5. प्राधिकरण द्वारा दी गयी सम्पत्ति मिनी रेस्टोरेन्ट का कब्जा इस विलेख के निष्पादन के बाद प्रदान किया जायेगा। ठेके पर दी गयी सम्पत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा और नीलामीदाता को निमार्ण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यदि स्थल पर कोई परिवर्तन किये जाने का प्राधिकरण स्तर पर निर्णय लिया जाता है तो नीलामीदाता को उक्त निर्णय मान्य होगा।
6. ठेके की अवधि समाप्त होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति से ही नीलामी का नवीनीकरण हो सकेगा। कार्य अवधि समाप्त होने से पूर्व ही लिखित अनुरोध पर उपाध्यक्ष द्वारा विचारोपरान्त नीलामी के नवीनीकरण के विषय में निर्णय लिया जायेगा। नीलामी नवीनीकरण की अनुमति न प्रदान किये जाने पर नीलामीदाता को क्योस्क का कब्जा प्राधिकरण को वापिस सौंपना होगा।
7. नीलामीदाता द्वारा मिनी रेस्टोरेन्ट में रखी गयी वस्तुओं की निर्धारित विक्रय दर की सूची संस्था द्वारा लगायी जानी अनिवार्य होगी।
8. नीलामीदाता द्वारा मिनी रेस्टोरेन्ट संचालन में जिला खाद्य एवं अपमिश्रण विभाग के नियम एवं मानकों के अनुसार ही वस्तुएं विक्रय हेतु रखी जायेगी। किसी भी नियम का उल्लंघन होने की स्थिति में नीलामीदाता की स्वयं की जिम्मेदारी होगी प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. नीलामीदाता को विद्युत संयोजन एवं पानी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
10. नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति व उसके आस-पास की सफाई का पूर्ण दायित्व एजेन्सी का होगा और नीलामीदाता अपने खर्च पर उच्चकोटि का डस्टबिन आदि व्यवस्था स्वयं करेगा।
11. नीलामी के अन्तर्गत दी गयी सम्पत्ति मिनी रेस्टोरेन्ट के रख-रखाव व मरम्मत की समस्त जिम्मेदारी नीलामीदाता की होगी व दी गयी सम्पत्ति के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा और स्थल पर ऐसी गतिविधि नहीं करेगा जिससे नीलामीदाता के स्वामी होना प्रदर्शित होता हो।
12. संचालित मिनी रेस्टोरेन्ट में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक व अन्य घटना घटित होने से किसी कर्मचारी अथवा मिनी रेस्टोरेन्ट में आने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की क्षति होने पर उसकी क्षतिपूर्ति की प्रतिपूर्ति का दायित्व नीलामीदाता का होगा, प्राधिकरण का उससे कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
13. मिनी रेस्टोरेन्ट संचालन हेतु सामग्री लाने व ले जाने एवं कर्मचारियों के प्रवेश हेतु अनुमति प्राधिकरण के नियम व

शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

14. सिटी फॉरेस्ट में होर्डिंग लगाने की अनुमति नहीं होगी। केवल मिनी रेस्टोरेन्ट पर बोर्ड लगाने की अनुमति होगी, जिसका साईज एवं लेखन विवरण तथा स्थापित करने का स्थान प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदित कराना होगा।
15. प्राधिकरण द्वारा नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति के निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा दिये गये सुझाव नीलामीदाता को मान्य होंगे।
16. नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति एवं उसके संचालन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क, कर या अन्य देयता के अदा करने की जिम्मेदारी नीलामीदाता की होगी, प्राधिकरण का कोई सम्बन्ध नहीं होगा।
17. नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति के नीलामी को भंग करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकरण को होगा जिसके सम्बन्ध में एक माह का नोटिस देकर ठेका समाप्त की जा सकती है। ठेका समाप्त हो जाने की दशा में नीलामीदाता को मिनी रेस्टोरेन्ट के संचालन में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति/प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार प्राधिकरण से नहीं होगा और वह इस हेतु प्राधिकरण के विरुद्ध कोई वाद भी योजित नहीं कर सकेगा।
18. सिटी फॉरेस्ट परिसर में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है।
19. प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त उच्चतम प्रस्ताव के आधार पर तय धनराशि वार्षिक किस्तों में अग्रिम रूप में जमा करानी होगी।
20. उच्चतम प्रस्तावक को 25 प्रतिशत धनराशि तीन दिन के अन्दर जमा करनी होगी। प्रथम उच्चतम प्रस्तावक द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक की बोली की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक द्वारा भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसकी भी जमानत जब्त करते हुए मिनी रेस्टोरेन्ट संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी का चयन किया जायेगा।
21. आयकर प्राविधानों के अनुसार ठेके हेतु प्राप्त उच्चतम प्रस्ताव की धनराशि पर निर्धारित देय कर व प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कर लागू किये जाने की दशा में उक्त धनराशि अतिरिक्त रूप से मिनी रेस्टोरेन्ट संचालन स्वीकृति के पश्चात प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
22. नीलामी के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।
24. यदि संचालन व्यवस्था समाप्त की जाती है तो संचालनकर्ता को शेष अवधि के लिए अनुपातिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।
25. नीलामी की स्वीकृति के पश्चात संचालनकर्ता को अपने खर्च पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरों पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।
26. एजेन्सी अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी को हस्तान्तरित नहीं करेगी, ऐसा करने की दशा में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
27. संचालनकर्ता अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी भ्रमणकारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। शालीनता एवं अनुशासन पे रहकर कार्य करेंगे।
28. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं स्थानीय न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करना होगा।
29. निर्धारित दरों से अधिक शुल्क वसूले जाने की दशा में बिना किसी अन्य सूचना के अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जायेगा।
30. मिनी रेस्टोरेन्ट संचालन पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।
31. संचालन व्यवस्था में लगाये गये सभी कर्मों 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम आयु के निरोगी/स्वस्थ हो तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Labour Act), ई0एस0आई0, पी0एफ0 आदि की उत्तरदायित्व संचालन कर्ता का होगा।

32. संचालन व्यवस्था में लगाये गये कर्मी पूर्व में कभी भी किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं होने चाहिए, तथा संचालक एजेन्सी द्वारा कर्मियों के चरित्र प्रमाण पत्र का शपथ पत्र प्राधिकरण में जमा कराने होंगे।
33. नीलामीदाता द्वारा आगामी प्रत्येक वर्ष वार्षिक शुल्क में 10 प्रतिशत/उपभोगता मूल्य सूचकांक (जो भी अधिक हो) के आधार पर वार्षिक वृद्धि के साथ जमा करना होगा।
34. संचालन एजेन्सी को सिटी फॉरेस्ट के नियम एवं विनियमों के अनुरूप कार्य करना होगा।
35. परिसर की सुरक्षा की व्यवस्था स्वयं एजेन्सी को करनी होगी।
36. अग्निशमक संयन्त्र की व्यवस्था प्राधिकरण द्वारा की जायेगी, तथा रख-रखाव कार्य आवेदक को करना होगा।
37. खाना वेज तथा नान वेज दोनो प्रकार का पृथक-पृथक रखना होगा। खाने की सामग्री हेतु खाद्य विभाग से लाईसेंस लेकर ही कार्य प्रारम्भ कर सकेगा।
38. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कैंटीन का इंश्योरेन्स भी कराना होगा।
39. मद्यपान पूर्णतः निषेध रहेगा। अवहेलना करने पर लाईसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा। जमा धनराशि भी जब्त कर ली जायेगी।
40. गार्डन एरिया संरक्षित करना होगा।
41. मिनी रेस्टोरेन्ट प्रातः 7:00 बजे से सांय 8:30 बजे तक संचालित रहेगा।
42. कोई म्यूजिक अथवा लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
43. पर्यावरण के विपरीत कोई गतिविधि नहीं करेंगे।
44. सामान लाने ले जाने हेतु मात्र एक ही वाहन का प्रयोग किया जायेगा।
45. शान्ति व्यवस्था, शालीनता बनाये रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
46. नो प्लास्टिक जोन है। अतः कोई पॉलीथीन का प्रयोग नहीं किया जायेगा।
47. मादक द्रव्य/तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा आदि का विक्रय प्रतिबन्धित है।
48. रेस्टोरेन्ट क्षेत्र में कम से कम चार सोलर लाईट की व्यवस्था व संचालन आवेदक को स्वयं करना होगा।
49. मिनी रेस्टोरेन्ट के भवन पर तथा आस-पास कोई भी बोर्ड बिना प्राधिकरण की अनुमति के नहीं लगाया जायेगा।
50. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुये अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया जायेगा तथा मिनी रेस्टोरेन्ट संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। ऐसी दशा में ठेकेदार को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नहीं होगा।

प्रभारी उद्यान  
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण  
गाजियाबाद।

उपरोक्त मिनी रेस्टोरेन्ट संचालन हेतु मैने 1 से 50 तक सभी शर्तों को पढ़ लिया है और सुन एवं समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ अपना ऑफर `..... शब्दों में .....  
.....प्रति वर्ष की दर से प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा प्राधिकरण के नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर बिडदाता  
नाम—  
दूरभाष संख्या—